

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

आदेश

कक्षपाल संवर्ग के निम्नलिखित कर्मियों के निलम्बन से मुक्त होने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने अंकित कारा में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	गृह जिला/जन्म तिथि	निलंबन के समय पदस्थापित कारा	निलंबन अवधि में संलग्न कारा	नव पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री किरतु पासवान कक्षपाल	नालन्दा 09.11.1957	मंडल कारा, छपरा	केन्द्रीय पूर्णियाँ कारा,	मंडल कारा, बांका
2	श्री संजीत कुमार कक्षपाल	नालन्दा 06.02.1979	केन्द्रीय पूर्णियाँ कारा,	मंडल लखीसराय कारा,	मंडल कारा, बेतिया
3	श्री उपेन्द्र कुमार राणा कक्षपाल	भागलपुर 15.09.1958	मंडल समस्तीपुर कारा,	मंडल भभुआ कारा,	मंडल कारा, सुपौल

2. संबंधित अधीक्षक अविलम्ब उपरोक्त कर्मियों को विरमित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. उपरोक्त कर्मी बिना पारगमन अवधि का उपभोग किए 24 घण्टे के अन्दर नव पदस्थापित कारा में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
5. उपरोक्त पर महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

विशेष कार्य पदाधिकारी

गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना।

दिनांक/...../2017

ज्ञापांक— कारा/कक्ष० (स्था०)—०२—११/२०१३

प्रतिलिपि— संबंधित सभी काराधीक्षक, संबंधित कर्मी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/—

विशेष कार्य पदाधिकारी

गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना।

दिनांक/...../2017

ज्ञापांक— कारा/कक्ष० (स्था०)—०२—११/२०१३1721..

प्रतिलिपि— महानिरीक्षक कोषांग/संयुक्त सचिव—सह—निदेशक (प्रशासन)/निगरानी प्रशाखा, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, गृह विभाग को सूचना तथा आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना।